



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/Part-II / 133

Date: 08/06/2018

निदेशक, सीफू
झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।

श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम महोदय के आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31.03.2018 के अनुसार दिनांक 01.04.2018 से आयोजित होने वाली समस्त ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID अनिवार्य होगी। साथ ही ट्रेनिंग हेतु कार्मिको का चयन भी CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा किया जायेगा। अतः आप सम्बन्धित ट्रेनिंग कोर्डिनेटर (SIHFW) को निर्देशित करे कि 7 दिवस पूर्व TMIS ID Generate करना सुनिश्चित करावे क्योकि प्रायः यह देखा गया है कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद अथवा समापन दिवस पर TMIS ID Generate की जा रही है।

इस हेतु URL, USER ID & Password सलंगन कर भिजवाये जा रहे है। ट्रेनिंग आदेशों में समस्त चयनित कार्मिको का इन्द्राज जिला स्तर से CHRIS सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग कोर्डिनेटर (SIHFW) द्वारा समन्वय करवाना सुनिश्चित करावे।

सलंगन:- प्रपत्र, आदेश क्रमांक 779 दिनांक. 31/03/2018, 40 दिनांक. 20/04/2018,
48 दिनांक. 25/04/2018, 120 दिनांक 31/05/2018।

(प्रति/माथुर)
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव एनएचएम।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सको, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिक, एनएचएम कार्मिको को ट्रेनिंग में भेजने से पूर्व CHRIS सॉफ्टवेयर में कार्मिको की सूचना सुनिश्चित करे।
5. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhmrj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/779

Date: 31/03/18

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2018 को आयोजित पीआईपी 2018-19 की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2018 से आयोजित होने वाली समस्त ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID अनिवार्य होगी। अतः सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी ट्रेनिंग आदेशों में TMIS ID लिखना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु सलाहकार आईटी / सलाहकार ट्रेनिंग / डीएनओ सीएसआर / सीनियर रिसर्च अधिकारी SIHFW से सम्पर्क करें।

प्रीति जाधव
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य / परिवार कल्याण।
6. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान झालाना, डूंगरी जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित / अराजपत्रित / चिकित्सा प्रशासन / ग्रामीण स्वास्थ्य / आरभोएच।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम / अनुभाग अधिकारी (एचआर)।
9. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य / शिशु स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / टीकाकरण / एमएमजेआरके / आरबीएसके / पीसीपीएनडीटी।
10. राज्य नोडल अधिकारी इन्वेन्टी / यूएचसी / क्वालिटी एश्योरेंस / समस्त सलाहकार एवं कार्यक्रम अधिकारी, एनएचएम / एनयूएचएम / सहायक निदेशक आयुष।
11. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)।
12. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी NRHM/NUHM/ समस्त राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (संचारी एवं गैर संचारी) NMHP/NPHCE/NTCP/NPCDCS/NPPCD/NOHP/NPPCF/NPCB/RNTCP/NLEP/NVBDGP/IDSP/NIDDCP।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
14. समस्त डीपीएम एनएचएम / एनयूएचएम।
15. M's Abesseys Technologies India Pvt. Ltd, Jaipur
16. प्रभारी सर्वर रूम ई-मेल हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम



CHRIS

(Computerised Human Resource Information System)
National Health Mission, Rajasthan

दिनांक - 31.03.2018

CHRIS (www.chrisnrhm.org) एक वेब-बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पीआईपी कंडीशनेलिटी को पूर्ण करने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएचसी/ पीएचसी आदि पर कार्यरत संविदा कर्मियों का डाटाबेस बनाया गया है। साथ ही चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत नियमित चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मचारियों का डाटाबेस भी बनाया गया है। उक्त डाटाबेस को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। अब तक कुल 10877 संविदा कर्मियों, 6568 नियमित चिकित्सकों व 31101 पैरामेडिकल कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध है, जिससे किसी भी चिकित्सा संस्थान पर कुल कितना स्टाफ (संविदा एवं नियमित) उपलब्ध है कि सूचना का पता लगाया जा सकता है।

CHRIS सॉफ्टवेयर में एसएमएस (Short Message Service - SMS) सेवा एकीकृत (Integrated) हैं, साथ ही कई प्रकार की उपयोगी रिपोर्ट्स एवं कर्मचारी रजिस्टर भी उपलब्ध है, जिससे मानव संसाधन के प्रबन्धन में सुधार एवं पारदर्शिता आयी है।

CHRIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिमाह संविदा कर्मियों का मासिक मानदेय को अद्यतन कर भुगतान स्वीकृती जारी की जाती है एवं भारत सरकार के PFMS (Public Finance Management System - <https://pfms.nic.in>) सिस्टम द्वारा कर्मियों के आधार लिंक बैंक खाते में स्वीकृत राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त गतिविधि राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार समयानुसार की जाती है, जिससे प्रबन्धन पारदर्शी एवं उत्तरदायी (Accountable) हुआ है। CHRIS सॉफ्टवेयर के बेहतर उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कर्मियों को दिये गये प्रशिक्षण (Training) सम्बन्धित डाटाबेस भी तैयार किया जा सकेगा। जिससे प्रशिक्षित चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की सूचना उपलब्ध हो सके। इस हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID (Training Management Information System ID Number - 20xxxxxxxxxx00xx3) को प्रशिक्षण आदेशों पर लिखना अनिवार्य होगा जो कि दिनांक 01/04/2018 उपरान्त सभस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये लागू होगा।

अधिक जानकारी के लिये राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम/ सलाहकार आईटी, एनएचएम / सलाहकार ट्रेनिंग, एनएचएम/ डीएनओ सीएसआर, एनएचएम/ सीनियर रिसर्व अधिकारी, SIHFW से सम्पर्क करें।



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj/a.nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/Part-2/40

Date: 20/04/2018

अनौपचारिक टिप्पणी

विषय:- एनएचएम प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कार्यक्रम हेतु **TMIS-ID** की अनिवार्यता बाबत।

सन्दर्भ:- आदेश क्रमांक 779 दिनांक: 31/03/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर आपको पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/04/2018 से एनएचएम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये **TMIS-ID** अनिवार्य किया गया है। इस हेतु संलग्न प्रपत्र में सूचना भर कर CO Training NHM के माध्यम से CO IT/ CO IT(II), NHM को भेज कर **TMIS-ID** प्राप्त किया जा सकता है।

अतः आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये **TMIS-ID** प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-779 दिनांक: 31/03/2018, प्रपत्र।

Director SIHFW
SPM/ASPM, NHM
All Project Director/ SNO
All Consultants NHM/NUHM

(प्रो.ति.माथुर)
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वि०स्वा०प०क० एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी शासन संयुक्त सचिव, एनएचएम।

परियोजना निदेशक, एनएचएम

CHRIS

REQUEST FORM TO GENERATE TMIS-ID FOR TRAINING PROGRAMME

Date:

1. Name of Training Institute:
2. Name of Training:
3. Training code: (please refer master list of training)
4. Training location (District Name):
5. Address of Training place / Location:
6. Training From Date :
7. Training To Date:
8. Brief Description about Training:
9. No. of Batch:
10. No. of Trainee:
11. Training Time:
12. Other Remarks (If any):

Name & Mobile no. of
Training Coordinator

TMIS-ID (To be generated by CO-IT/CO-IT(II), NHM):

Date:



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/HRMS/Part-2/48

Date: 25/04/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम महोदय के आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31.03.2018 के अनुसार दिनांक 01.04.2018 से आयोजित होने वाली समस्त ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID अनिवार्य होगी। साथ ही ट्रेनिंग हेतु कार्मिकों का चयन भी CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा किया जायेगा। "Foundation Course For Newly Recruited Doctors Training" हेतु कार्मिकों के चयन का कार्य CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा करने पर पाया गया है कि समस्त नियमित नवचयनित डाक्टरों (कार्यग्रहण वर्ष 2016-17, 2017-18) की सूचना CHRIS सॉफ्टवेयर में इन्पुट नहीं है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आगामी सात दिवस में आपके कार्यालय में पदस्थापित संस्थापन शाखा के UDC/DC को निर्देशित करें कि समस्त चिकित्सकों की (संलग्न प्रपत्र में) वांछित सूचना को आपके कार्यालय में कार्यरत डाटा नोडल ऑफिसर, एनएचएम (DNO, NHM) के साथ CHRIS सॉफ्टवेयर पर अपडेट कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- प्रपत्र।

पी. माथुर
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक जन स्वास्थ्य / परिवार कल्याण।
6. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना डूंगरी जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित / अराजपत्रित / चिकित्सा प्रशासन / ग्रामीण स्वास्थ्य / आरसीएच।
8. राज्य कार्यक्रम प्रवक्ता एनएचएम / अनुभाग अधिकारी (एचआर)।
9. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य / शिशु स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / टीकाकरण / एमएमजआरके / आरवाएराके पीसीपीएन-डीपी।
10. राज्य नोडल अधिकारी इन्वन्टी / सूचरी / क्वालिटी एश्योरेंस / समस्त सलाहकार एवं कार्यक्रम अधिकारी, एनएचएम / एनयूएचएम / सहायक निदेशक आयुष।
11. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)।
12. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी NRHM/ NUHM/ समस्त राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (संचारी एवं गैर संचारी)।
13. समस्त डीपीएम, एनएचएम / एनयूएचएम / डीएनओ, एनएचएम।
14. M/s Abesseys Technologies India Pvt. Ltd. Jaipur
15. प्रगती सर्वर रूम ई-मेल हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम



F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/Part-3/53

Date: 26/04/2018

Meeting Minutes

A meeting was held on **13/04/2018 at 04:00 PM** under the chairpersonship of Joint Secretary, NHM in his chamber to review to review the progress under CHRIS. Process Flow of TMIS, User Creation Format, Master Data Requirements (Training Institutions etc), Attendance Certificate, Appreciation Certificate and Reporting formats and other related issues.

Following officers/ consultants are requested to attend the demonstration:

1. SPM/ ASPM, NHM
2. SNO (HR)/ SNO (VP)
3. Consultant Training/ Plan/ IT, NHM
4. PO (HR)/ DNO (CSR)
5. Faculty/ Sr. RO/ TA (IT), SHFW

Following points were discussed and decided:

1. A brief presentation for was given by the DNO, CSR about the progress under CHRIS/ TMIS. It was informed that total 48598 records are available in CHRIS (*Contractual Staff – 10929 and Regular Staff - 37669 [Doctor – 6568 and Paramedical - 31101]*).
2. The process flow of TMIS was discussed and informed (Master Data Creation [Training Institute, Training Name, Reason for not attending the training etc]. Generation of TMIS ID e.g. "201813042000001", Selection of staff for the respective TMIS ID using CHRIS database, Generation of attendance sheet at institution level, Updation of attendance & uploading of attendance sheet. Generation of certificate. Uploading of relieving order and Reports.

62

1/2



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

3. It was suggested that trainings should be categorized as Major Category (*like Maternal Health, Child Health, Family Welfare, Routine Immunization, Quality Assurance, Demographer Cell, NUHM etc*) and Sub Category (*like Foundation Course under Maternal Health etc*).
4. It was suggested that master data of Reason for not attending the training should include Illness, Abscond, Urgent work for home, Directions from higher authorities, Duty in other programmes and Other.
5. User-Id & Password to access the TMIS information should be generated for Consultant-Training, Consultant-Plan and SIIFW.

Meeting ended with a vote of thanks.

(Tribhuwan Pati)
Joint Secretary, NHM

Copy for information and necessary actions to:

1. PS to Secretary, MH&FW and Mission Director, NHM
2. PA to Joint Secretary, NHM
3. PA to Director, PIH/ RCH/ SIIFW
4. SPM/ ASPM, NHM
5. State Demographer
6. Project Director MH/ CH/ IMMUN/ FW
7. Consultant Training/ Plan/ NUHM
8. All Participants
9. M/s Abessys Technologies India Pvt. Ltd. Jaipur

Joint Secretary, NHM



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/ Part-II /120

Date: 31/05/2018

कार्यालय आदेश

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- CHRIS सॉफ्टवेयर एवं TMIS ID के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31/03/2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर आपको निर्देशित किया जाता है कि CHRIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु ID बनाया (Generate) जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही चिकित्सक/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिक/ एनएचएम कार्मिक को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजने से पूर्व उनका CHRIS ID बनाना (यदि नहीं हो तो) सुनिश्चित करावें। ताकि TMIS (Training Management Information System) का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें श्रीमती अंकिता शर्मा (डी.एन.ओ. सीएसआर) 0141-5112527

संदर्भ:- आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31/03/2018।

(प्रो. माथुर)

परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0रवा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, परियोजना निदेशक एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य/आरसीएच।
4. निजी सहायक, निदेशक सीफू।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
6. समस्त परियोजना निदेशक/ राज्य नोडल अधिकारी/ सलाहकार।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम